संख्या-181/ 2017/2944/26-3-2017-2944/2017

प्रेषक,

रवि शंकर मिश्र
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन

सेवामें,

निदेशक,
समाज कल्याण,
उ0प्र0, लखनऊ

समाज कल्याण अनुभाग-3 लखनऊः दिनांकः 08 दिसम्बर, 2017

विषयः-प्रदेश में समाज कल्याण विभाग के नियन्त्रणाधीन संचालित राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय को सी0बी0एस0ई0बोर्ड से सम्बद्ध किये जाने हेतु शैक्षणिक कार्मिकों के आवास निर्माण के लिये वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशालय समाज कल्याण के पत्र संख्या-941-42/स.क./आ0प0वि0-प्रकोष्ठ(114)/2017-18,दिनांक-26.10.2017 द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव के क्रम में अनुदान संख्या-83 में संचालित योजना राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय के निर्माण मद में चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 के आय-व्ययक में प्राविधानित धनराशि रूपया-6000.00 लाख (रूपया साठ करोड़ मात्र) के सापेक्ष उपलब्ध धनराशि रूपया-4025.20 लाख (रूपया चालीस करोड़ पच्चीस लाख बीस हजार मात्र) में से निदेशालय, समाज कल्याण द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय में ट्रांजिट हास्टल निर्माण हेतु प्रति विद्यालय लागत रूपया-**291.67 लाख (रूपया दो करोड़ इक्यानबे लाख सडसठ हजार मात्र)** की दर से 11 विद्यालयों हेतु कुल लागत रूपया-3208.37 लाख (रूपया बत्तीस करोड़ आठ लाख सैतिस हजार मात्र) की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान करते हुये उपलब्ध धनराशि में से प्रथम किश्त के रूप में प्रति विद्यालय धनराशि रूपया-145.83 लाख (रूपया एक करोड़ पैतालिस लाख तिरासी हजार मात्र) की दर से 11 विद्यालयों हेतु कुल धनराशि

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

रूपया-1604.13 लाख (रूपया सोलह करोड़ चार लाख तेरह हजार मात्र) की निम्नानुसार श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(रूपया लाख में)

क्र.सं	विद्यालय का नाम	आगणित धनराशि	प्रथम किश्त के रूप में जारी धनराशि
1	राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय, रया भदोही।	291.67	145.83
2	राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय, कौडिहार इलाहाबाद।	291.67	145.83
3	राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय, ग्यासपुर जौनपुर।	291.67	145.83
4	राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय, बरैसा, मंझनपुर, कौशाम्बी	291.67	145.83
5	राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय, परसिया, मिर्जापुर।	291.67	145.83
6	राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय, मऊ घनश्यापुर, फैजाबाद।	291.67	145.83
7	राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय, रहीमाबाद, सीतापुर।	291.67	145.83
8	राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय, बरसेन्डी, फैजाबाद।	291.67	145.83
9	राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय, कादीपुर, सुल्तानपुर।	291.67	145.83
10	राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय, रैन, रायबरेली।	291.67	145.83
11	राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय, चकिया चन्दौली।	291.67	145.83
	योग रूपया	**3208.37**	**1604.13**

(i)-नियमानुसार निर्विवाद रूप से भूमि उपलब्ध होने के उपरान्त ही धनराशि का आहरण किया जायेगा।

(ii)-योजना का सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही कार्य कराया जायेगा। यह सुनिश्चित किया जायेगा कि कार्य की गुणवत्ता, मानक एवं विशिष्टियों के अनुरूप हो।

(iii)-यह सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रश्नगत कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित नही है तथा इस हेतु पूर्व में किसी अन्य योजना/स्रोत से धनराशि स्वीकृत नही की गयी है।

(iv)-प्रश्नगत वित्तीय स्वीकृति जिस कार्य/मद हेतु की जा रही है उसका उपयोग नियमानुसार उसी कार्य/मद हेतु किया जायेगा।

(v)-यह सुनिश्चित किया जायेगा कि कार्यो की द्विरावृत्ति न हो तथा पी0एफ0ए0डी0 की शर्तो एवं वित्त बजट अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप दिनांक-03.08.2017 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(vi)-अवमुक्त धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार एवं नियमानुसार किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि को पी0एल0ए0/बैंक खाते आदि में नही रखा जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(vii)-कार्यदायी संस्था द्वारा आगणन में अनुमोदित सीमा तक ही सेन्टेज चार्ज लिया जायेगा।

(viii)-आगणन में वर्णित लेबर सेस की कुल धनराशि इस शर्त के अधीन होगी कि श्रम विभाग को उक्त धनराशि का भुगतान किया जायेगा।

(ix)-उक्त स्वीकृत धनराशि निदेशक, समाज कल्याण उ0प्र0 कार्यदायी संस्था के साथ एम0ओ0यू0(अनुबंध)करने के बाद ही आहरित करके कार्यदायी संस्था उ0प्र0राज्य निर्माण एव श्रम विकास सहकारी संघ लि0 को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करेंगे ताकि परियोजना की लागत में कास्ट ओवररन की स्थिति पैदा न हो और निर्धारित समय के अनुसार कार्य पूर्ण कराया जा सके।

(x)-उक्त धनराशि का आहरण वास्तविक उपयोगितानुसार किया जायेगा। निर्माण कार्य की भौतिक प्रगति का विवरण यथासमय शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

(xi)-प्रश्नगत प्रायोजना के सम्बन्ध में नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियां एवं पर्यावरणीय क्लियरेन्स सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जायेगा एवं प्रायोजना का निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व मानचित्रों का आवश्यकतानुरूप स्थानीय विकास प्राधिकरण/सक्षम लोकल आथारिटी से स्वीकृत कराया जाय।

(xii)-प्रायोजना प्रस्ताव/आगणन का गठन लोक निर्माण विभाग के कुर्सी क्षेत्रफल के आधार पर किया गया है। अतः इस मानकीकरण में प्रस्तावित कुर्सी क्षेत्रफल एवं विशिष्टियों के आधार स्वीकृत प्रायोजना का सम्बन्धित जनपद के एस0ओ0आर0 पर विस्तृत आगणन का गठन कराया जाय एवं इस विस्तृत आगणन पर कार्यदायी संस्था के सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही निर्माण कार्य प्रारंभ कराया जाय।

2- उपर्युक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 के अनुदान सं0-83 के अंतर्गत लेखाशीर्षक-"4225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछडे वर्गो के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय-01-अनुसूचित जातियों का कल्याण-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-07-राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय-24-बृहत् निर्माण कार्य" के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-8/2017/बी-1-1190/दस-2017-231/2017, दिनांक-03.08.2017 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय

रवि शंकर मिश्र

अनुसचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

पृसं0-181/2017/2944(1)/26-3-2017तददिनांकः

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1 महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी)प्रथम एवं द्वितीय उ0प्र0, इलाहाबाद।

2 महालेखाकार,(लेखा परीक्षा)प्रथम एंव द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।

3 निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0इलाहाबाद।

4 कोषाधिकारी, जवाहर भवन, उ0प्र0 लखनऊ।

5 जिलाधिकारी, भदोही, इलाहाबाद, जौनपुर, कौशाम्बी, मिर्जापुर, फैजाबाद, सीतापुर, सुल्तानपुर, रायबरेली एवं चन्दौली

6 जिला समाज कल्याण अधिकारी, भदोही, इलाहाबाद, जौनपुर, कौशाम्बी, मिर्जापुर, फैजाबाद, सीतापुर, सुल्तानपुर, रायबरेली एवं चन्दौली ।

7 वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3, उ0प्र0 शासन।

8 वित्त नियंत्रक, निदेशालय, समाज कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ।

9 प्रबंध निदेशक, उ0प्र0राज्य निर्माण एव श्रम विकास सहकारी संघ लि0 उ0प्र0 लखनऊ।

10 निदेशक, एन0आई0सी0।

11 गार्डफाइल।

आज्ञा से,

रवि शंकर मिश्र

अनु सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।